भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4444
28 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

मत्स्य लैंडिंग केंद्र

4444. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मत्स्य लैंडिंग केन्द्रों और अंतर्देशीय मत्स्यपालन के विकास सहित मत्स्यपालन संबंधी विकास के लिए कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि मत्स्यपालन अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत मत्स्यन बंदरगाहों और लैंडिंग केन्द्रों के विकास के लिए निधियां आबंटित की गई हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख): जी, हां महोदय, मात्स्यिकी क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एक प्रमुख योजना - प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) कार्यान्वित कर रहा है जो भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रु/- के कुल निवेश के साथ सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है । मत्स्यन बंदरगाहों / मत्स्य लैंडिंग केन्द्रों का विकास और अंतर्देशीय मात्स्यिकी का विकास इस योजना के अंतर्गत बल दिए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जिसकी परिकल्पना की गई है और सहायता प्रदान की जा रही है । पीएमएमएसवाई के तहत अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र विस्तार, प्रजातियों के विविधीकरण, नई प्रजातियों की शुरूआत और अंतर्देशीय मात्स्यिकी में गुणवत्तापूर्ण बीज और फ़ीड जैसे महत्वपूर्ण इनपुट की मांग और आपूर्ति को तेज करने पर ध्यान देने के साथ अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जल कृषि के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

पीएमएमएसवाई के तहत मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने मौजूदा मत्स्यन बंदरगाहों के आधुनिकीकरण/विस्तार, नए मत्स्यन बंदरगाहों / मत्स्य लैंडिंग केन्द्रों के निर्माण और मौजूदा मत्स्यन बंदरगाहों के रखरखाव ड्रेजिंग के लिए 2319.76 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 36 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है ।

(ग) और (घ) : जी, हां महोदय । मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2018-19 से 7522.48 करोड़ रुपये की कुल निधि के साथ फिशेरीस एण्ड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) लागू कर रहा है । एफआईडीएफ अन्य बातों के साथ-साथ नोडल ऋण संस्थाओं/नोडल लोनिंग एन्टिटीस (एनएलई) के माध्यम से चिन्हित मात्स्यिकी अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य संस्थाओं सहित विभिन्न पात्र संस्थाओं / इलिजिबल एन्टिटीस (ईई) को रियायती वित्त प्रदान करता है। एफआईडीएफ के अंतर्गत, 5% न्यूनतम ब्याज दर पर एनएलई के माध्यम से रियायती वित्त प्रदान करने के लिए मत्स्यपालन विभाग 3% प्रति वर्ष ब्याज सवबेंशन प्रदान करता है। एफआईडीएफ अन्य बातों के साथ-साथ मत्स्यन बंदरगाहों और मत्स्य लैंडिंग केन्द्रों के विकास की परिकल्पना करता है । एफआईडीएफ के तहत 5087.97 करोड़ रुपये की लागत से 46 मत्स्यन बंदरगाह / मत्स्य लैंडिंग केन्द्रों को स्वीकृति दी गई है।

*****